

## एसपी ने गिलौला थाने का किया वार्षिक निरीक्षण



डेली न्यूज नेटवर्क

श्रावस्ती। पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने बुधवार को गिलौला थानों का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान रजिस्टर न० आठ, अपराध रजिस्टर, बीपीओ ररजिस्टर, आर्डर बुक, प्रार्थना पत्र, त्याहार रजिस्टर अभिलेखों के रख रखाव, का अवलोकन किया साफसफाई

टीक पायी गयीं परिसर में खड़े लावारिस वाहन तथा मुकदमाती वाहनों का आपरेशन बलीन के तहत निस्तारण के निर्देश दिये इसी के साथ मेस चेक कर भोजन व्यवस्था आदि की जानकारी लियां। इस अवसर पर थाने में तैनात निरीक्षक एवं उपनिरीक्षकों को परियादियों के शिकायतों का जांचकर त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिये।

## दो सगे भाइयों समेत चार नेपाली चरस तस्करों को 14 वर्ष का कारावास

श्रावस्ती। नेपाल राष्ट्र के चार चरस तस्करों को बुधवार अपर सत्र न्यायाधीश ने 14 - 14 साल का सत्रम कारावास व प्रत्येक को दो लाख 20 हजार रुपये के अर्धदंड से दंडित किया है। अर्धदंड न अदा करने वाले दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजा पाने वालों में दो सगे भाइ शामिल हैं।



अधिवक्ता पंकज कुमार श्रीवास्तव के अनुसार 25 जुलाई 2019 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लखनऊ को एसएसबी से सूचना मिली थी कि चार नेपाली युवक चरस के साथ दो बाइक पर भरथा चौकी होते हुए नेपाल से भारत सीमा में प्रवेश करने वाले हैं। इस पर एनसीबी व एसएसबी ने नाकेबंदी कर बनिया गांव के सर्धई पुरबा गांव के पास उन्हें रोक लिया। उनके कब्जे से 30 किलो 900 ग्राम चरस बरामद हुई। उनकी पहचान नेपाल के जिला डाँग अंतर्गत थाना शांतीनगर के पवन नगर निवासी पीतांबर कंडेल व धर्मराज कंडेल तथा उसी थाना क्षेत्र के राजपुर निवासी खरक बहादुर व डाँगी सरन निवासी सीताराम चौधरी के रूप में हुई थी।

केस दर्ज कर अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश (अनन्य रूप से पैक्सो अधिनियम) सुदामा प्रसाद के न्यायालय पर आरोप पत्र भेजा गया था। जिस पर फैसला सुनाते हुए बुधवार को एडीजे ने सभी को 14-14 साल का सत्रम कारावास व प्रत्येक को दो लाख 20 हजार रुपये के अर्धदंड से दंडित किया है। अर्धदंड अदा न करने वाले दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। (सत्याद)